प्रेषक,

जिलाधिकारी
कौशाम्बी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 1931 /खनन सहायक कौ0 दिनांक 26/04/2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–275/2024 में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

––––––

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–275/2024 शीर्षक ''कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता'' में दिनांक 01.04.2024 को सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

He has submitted that the District Magistrate Mr. Rajesh Kumar Rai has instructed him to say thea no illegal sand mining is goin on in District Kaushambi. The District Magistrate Mr. Rajesh Kumar Rai is directed to file an affidavit stating in clear terms the status of illegal mining within District Kaushambi within two weeks from today.

अतः मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2024 के अनुपालन में तैयार शपथ पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शपथ पत्र मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

26.4.24

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी
कौशाम्बी।

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 275 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News item titled "Kaushambi mei NGT ke niyamo ko undekha kar ho raha avaidh khanan, baalu mafiyoo ne Yamuna nadi ki dhaara mai bana diya raasta" appearing in Circle Samachar dated 13.02.2024.

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 01.04.2024

I, Rajesh Kumar Rai, S/o Mr. Nagendra Nath Rai, aged about 57 years, District Magistrate, Kaushambi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence, am competent to swear this affidavit.

2. That in compliance of order dated 01.04.2024 enquiry into the illegal mining in District Kaushambi has been made by a Committee constituted by the Deponent which consisted of Mining Officer, Kaushambi, Sub Divisional Officer, Chayal, District Kaushambi and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Prayagraj alongwith Incharge Officer, Geology and Mining, Regional Office Prayagraj, however, as per enquiry report no illegal mining has been found except in one mine area in Village Kataiya, P.S. Saraiakil, Tehsil Chail, Kaushambi. In other mine

area or probable areas where mining can be done, no illegal mining has been found.

3. That there are seven leases in District Kaushambi. All the lease areas were inspected by the Committee and except one mine lease in favour of M/s. Aman Brick Field through Proprietor Shri Javed Ali, S/o. Shri Sabir Ali, R/o. Subhash Nagar, Saini, Tehsil Sirathu, Kaushambi. No illegal mining has been found in any remaining six mining leases. It is further submitted that out of seven mining leases one mine lease in favour of M/s. Anuradha Construction, Proprietor Shri Vinod Kumar Rai, S/o. late Ramdas, R/o. 1962/2, Sahani Compound, Civil Lines, Station Road, Jhansi in Village Bhakanda, P.S. Saraiakil, Tehsil Manjhanpur, Kaushambi which was granted from 13.03.2023 to 12.03.2028, has been cancelled on 28.03.2024 due to non-payment of royalty and the same is lying inoperative.

नोटरी
चन्द्र प्रकाश गुप्ता
एडवोकेट/नोटरी
26/04/24
जनपद कौशाम्बी
रजि०न०
21(10)2015
समाप्ति तिथि
27/07/2025
उत्तर प्रदेश सरकार

4. That besides this in respect of illegal mining by M/s. Aman Brick Field, Proprietor Shri Javed Ali at Village Kataiya, P.S. Saraiakil, Tehsil Chail, Kaushambi, notice for illegal mining has been issued on 15.04.2024 proposing to impose the total amount of Rs. 2,26,800/-. Besides this, penalty is proposed between Rs. 2,00,000/- to Rs. 5,00,000/- as per rules for illegal mining of 252 cubic meter of sand/morram. Besides this, a Complaint has also been filed in the Court of Chief Judicial Magistrate, Kaushambi for the said illegal mining by the Mines Officer, Kaushambi. A copy of the said notice dated 15.04.2024 is being enclosed as **Annexure-1**.

5. That besides this, the river bed of river Yamuna in Village Durgapur, P.S. Pipri, Tehsil Chail, Kaushambi has also been inspected on 10.04.2024 wherein no mining has been found. However, it is submitted that in village Majhiyari, District Prayagraj, a lease is in operation and the transportation of the mine mineral is done through village Semri, District Prayagraj and thereafter in District Kaushambi. Therefore, a request has been made to District Magistrate, Prayagraj to get an enquiry made about the said mine in operation in Village Majhiyari. A copy of inspection report by the Joint Committee is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

6. That the Committee further inspected the river bed of Village Tilhapur, P.S. Saraiakil, Tehsil Chail, Kaushambi and no mining has been found anywhere in the said area in District Kaushambi.

The District Adminsitration is taking strict vigil over illegal mining and whenever it is reported, action is taken against such illegal mining.

नोटरी चन्द्रभान गुप्ता एडवोकेट एवं नोटरी तहसील मंझनपुर कौशाम्बी रजि०न० 21(10)/2015 समाप्ति तिथि 27/07/2025 उत्तर प्रदेश सरकार 26/04/2024

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE DAY OF APRIL, 2024 AT KAUSHAMBI.

Rajesh Kumar Rai D.M. Kaushambi

दिनांक 26/अप्रैल/24

जिनकी पहचान श्री..........

एडवोकेट ने मेरे समक्ष स्वीकार किया कि इस शपथ पत्र का विषय सत्य है।

DEPONENT

चन्द्रभान गुप्ता
एडवोकेट एवं नोटरी
तहसील मंझनपुर जनपद-कौशाम्बी 26/04/24

Annexure-1.

कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी

(खनन अनुभाग)

संख्याः [illegible] /खनन सहायक को0 दिनांकः 15/04/2024

नोटिस

मे0 अमन ब्रिक फील्ड
प्रो0 श्री जावेद अली पुत्र श्री साबिर अली,
निवासी सुभाष नगर, सैनी तहसील सिराथू,
जनपद कौशाम्बी।

आपके पक्ष में जनपद कौशाम्बी के तहसील चायल स्थित ग्राम कटैया यमुना नदी के खण्ड संख्या 10/19 से 10/21 क्षेत्रफल 10.00हे0 में बालू/मोरम खनन के लिए खनन पट्टा दिनांक 03.12.2021 से 02.12.2026 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/संचालित है। आपके खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच दिनांक 09.04.2024 को प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, प्रभारी अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, उपजिलाधिकारी चायल तथा खान अधिकारी कौशाम्बी द्वारा किया गया था। जॉच आख्या दिनांक 10.04.2024 के अनुसार स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

"जॉच के दौरान खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत होता हुआ पाया गया। मौके पर सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ एवं वे-ब्रिज व वे-ब्रिज के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ एवं संचालित अवस्था में पाया गया। उक्त के अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के कार्डिनेट बिन्दु (सीमा स्तम्भ) A से B की तरफ A के पास स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन से हुआ एक गड्ढा/पिट पाया गया, जिसकी पैमाइश की गयी। पैमाइश में औसतन 21 मीटर लम्बाई, औसतन 12 मीटर चौड़ाई एवं औसतन 01 मीटर गहराई में लगभग 252 घनमीटर बालू/मोरम का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 व 72 का उल्लंघन है जिसके लिए आपको नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार शास्ति/राजस्व क्षतिपूर्ति की देयता आपके ऊपर प्रस्तावित है :-

क्र0सं0	पायी गयी अनियमितता	प्रस्तावित शास्ति
1	खनन पट्टा क्षेत्र के कार्डिनेट बिन्दु (सीमा स्तम्भ) A से B की तरफ A के पास स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन से हुआ एक गड्ढा/पिट पाया गया, जिसकी पैमाइश में औसतन 21 मीटर लम्बाई, औसतन 12 मीटर चौड़ाई एवं औसतन 01 मीटर गहराई में लगभग 252 घनमीटर बालू/मोरम का खनन/	उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 के अनुसार अवैध खनन की मात्रा 252 घनमीटर की रायल्टी (252X150) = 37,800/- + खनिमुख मूल्य रू0-1,89,000/- इस प्रकार कुल धनराशि रू0-2,26,800/- होता है। इसके अतिरिक्त नियम 58 के तहत अर्थदण्ड अन्यून दो लाख रूपये एवं

	परिवहन किया जाना पाया गया।	अधिकतम् पॉच लाख रूपये तक अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जॉच आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र में पायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि में आपके द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तद्नुसार उपरोक्त कृत्यों के लिए आपके विरूद्ध नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

/

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

संख्या: 1902 /खनन सहायक कौ0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।

2 आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

3 उपजिलाधिकारी चायल।

4. तहसीलदार चायल जनपद कौशाम्बी को इस निर्देश से प्रेषित है कि उक्त नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित को तामील कराकर तामीला प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15.4.24

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

Annexure - 2.

संयुक्त जांच आख्या

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कौशाम्बी।

महोदय,

कृपया कार्यालय आदेश संख्या–1869/खनन सहायक कौशा0 दिनांक 04.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में स्वमोटो योजित ओ0ए0 संख्या–275/2024 "कौशाम्बी में NGT के नियमों को अनदेखा कर हो रहा अवैध खनन, बालू माफियाओं ने यमुना नदी की धारा में बना दिया रास्ता" में दिनांक 01.04.2024 को सुनवाई उपरान्त पारित आदेश के अनुपालन में जॉच कमेटी का गठन किया गया है। गठित जॉच समिति द्वारा जनपद कौशाम्बी में संचालित खनन पट्टा क्षेत्रों व सम्भावित अवैध खनन स्थलों की जॉच दिनांक 09.04.2024 व 10.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान पायी गयी स्थिति क्रमशः निम्नवत् है :–

1. ग्राम रामनगर (महेवा) थाना महेवाघाट तहसील मंझनपुर कौशाम्बी :–

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र श्री अरूण कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री भोला नाथ त्रिपाठी नि0 193ए/1ए, तिलक नगर, अल्लापुर प्रयागराज के पक्ष में ग्राम रामनगर (महेवा) के खण्ड संख्या –16/11 से 16/14 रकवा 25.00हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 04.01.2024 से 03.01.2029 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, की जॉच पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में दिनांक 09.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत होता हुआ पाया गया। मौके पर सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ एवं वे–ब्रिज व वे–ब्रिज के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ एवं संचालित अवस्था में पाया गया। खनन कार्य नियमानुसार एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के समादर में किये जाने हेतु पट्टाधारक प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

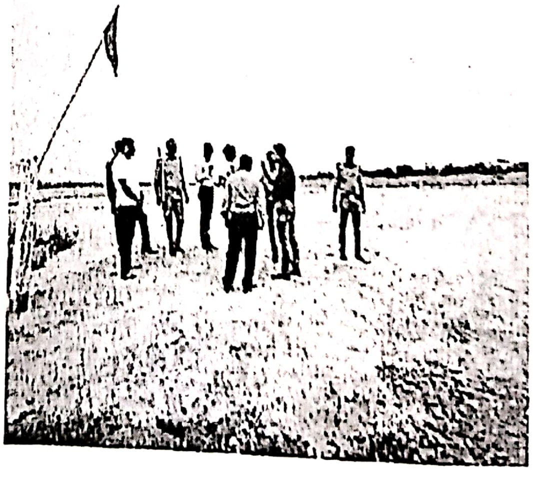

2. ग्राम बड़हरी थाना पश्चिम शरीरा तहसील मंझनपुर कौशाम्बी :–

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम खेलावन नि0 चक नगर द्वितीय, मंझनपुर कौशाम्बी के पक्ष में ग्राम बड़हरी के खण्ड संख्या–13/15 से 13/17 रकबा 11.00हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, की जॉच दिनांक 09.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत होता हुआ पाया गया। मौके पर सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ एवं वे–ब्रिज व वे–ब्रिज के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ एवं संचालित अवस्था में पाया गया। खनन कार्य नियमानुसार एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के समादर में किये जाने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया।

3. **ग्राम कटैया थाना सराय अकिल तहसील चायल कौशाम्बी :–**

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र मे0 अमन ब्रिक फील्ड प्रो0 श्री जावेद अली पुत्र श्री साबिर अली नि0 सुभाष नगर, सैनी तहसील सिराथू कौशाम्बी के पक्ष में ग्राम कटैया के खण्ड संख्या–10/19 से 10/21 रकबा 10.00हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 03.12.2021 से दिनांक 02.12.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, की जॉच पट्टाधारक की उपस्थिति में दिनांक 09.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत होता हुआ पाया गया। मौके पर सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ एवं वे–ब्रिज व वे–ब्रिज के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ एवं संचालित अवस्था में पाया गया। उक्त के अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के कार्डिनेट बिन्दु (सीमा स्तम्भ) A से B की तरफ A के पास स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन से हुआ एक गड्ढा/पिट पाया गया, जिसकी पैमाइश की गयी। पैमाइश में औसतन 21 मीटर लम्बाई, औसतन 12 मीटर चौड़ाई एवं औसतन 01 मीटर गहराई में लगभग 252 घनमीटर बालू/मोरम का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–3 व 72 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य हेतु पट्टाधारक को नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित ~~प्रतीत होता~~ है। मौके पर मौजूद पट्टाधारक को खनन कार्य नियमानुसार एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के समादर में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. ग्राम कटैया थाना सराय अकिल तहसील चायल कौशाम्बी :—

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र श्री मो0 अरशद सिद्दिकी पुत्र स्व0 अख्तार हुसैन नि0 वार्ड नं0—8, हजरतगंज, चायल खास, चायल, कौशाम्बी के पक्ष में ग्राम कटैया के खण्ड संख्या—10/10 से 10/13 रकबा 20.00हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 11.01.2029 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, की जॉच पट्टाधारक की उपस्थिति में दिनांक 09.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत होता हुआ पाया गया। मौके पर सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये तथा पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ एवं वे—ब्रिज व वे—ब्रिज के साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ एवं संचालित अवस्था में पाया गया। खनन कार्य नियमानुसार एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के समादर में किये जाने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया।

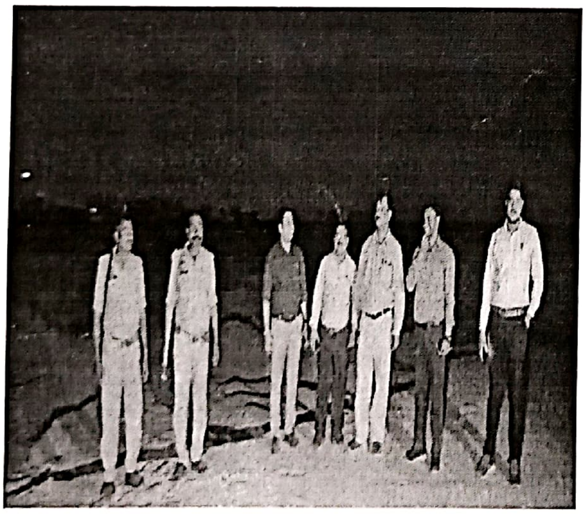

5. ग्राम मोहम्मदाबाद (केवट का पुरवा) थाना सराय अकिल तहसील चायल कौशाम्बी :—

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र मे0 मॉ वैष्णो ट्रेडर्स प्रो0 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बलजोर नि0 ग्राम निधियॉवा थाना कोखराज तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के पक्ष में ग्राम मोहम्मदाबाद (केवट का पुरवा) के खण्ड संख्या—09/27 से 09/29 रकबा 21.50हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 01.06.2022 से 31.05.2027 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/

निष्पादित है, की जॉच दिनांक 10.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया। अभिलेखानुसार उक्त क्षेत्र में मानसून सत्र समाप्ति उपरान्त माह अक्टूबर, 2023 से खनन कार्य बन्द है। वहॉ मौजूद ग्रामवासियों द्वारा पूॅछ–ताछ में बताया गया कि इस क्षेत्र में खनन कार्य कई महीनों से बन्द है।

6. ग्राम भखन्दा थाना सराय अकिल तहसील मंझनपुर कौशाम्बी :–

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र मे0 अनुराधा कान्स्ट्रक्शन प्रो0 श्री विनोद कुमार राय पुत्र स्व0 हरदास नि0 1962/2, साहनी कम्पाउन्ड, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड झॉसी के पक्ष में ग्राम भखन्दा के खण्ड संख्या–10/30 से 10/34 रकबा 21.50हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 13.03.2023 से 12.03.2028 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित था, जिसे दिनांक 28.03.2024 को निरस्त कर दिया गया है, की जॉच दिनांक 10.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन पट्टा क्षेत्र को जाने वाला मार्ग कटा हुआ पाया गया। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में खनन कार्य बन्द है।

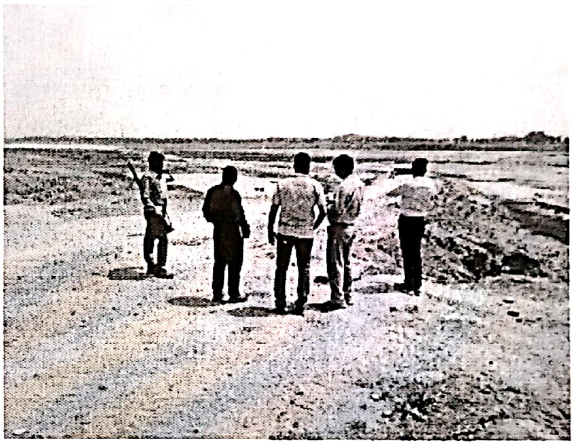

7. ग्राम ऐंगवॉ थाना सराय अकिल तहसील मंझनपुर कौशाम्बी :–

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्र मे0 प्राइम विजन इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्रो0 श्री कवच कुमार निर्मल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र निर्मल नि0–छठवॉ तल, 603, चौखानी स्वाक्यर, पी–4, सेक्टर–18, नोयडा के पक्ष में ग्राम ऐगवॉ के खण्ड संख्या–11/37 से 11/39 रकबा 16.00हे0 क्षेत्र बालू/मोरम खनन हेतु दिनांक 14.02.2020 से 13.02.2025 तक की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, की जॉच दिनांक 10.04.2024 को की गयी। जॉच के दौरान खनन कार्य बन्द पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार खनन पट्टा में खनन कार्य माह फरवरी, 2024 से बन्द है। खनन पट्टा क्षेत्र को जाने वाला मार्ग कटा हुआ पाया गया। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में खनन कार्य लगभग 2–3 महीने से नहीं हो रहा है।

8. ग्राम दुर्गापुर थाना पिपरी तहसील चायल कौशाम्बी :–

तहसील चायल अन्तर्गत ग्राम दुर्गापुर में प्रवाहित यमुना नदी तल का निरीक्षण दिनांक 10.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम दुर्गापुर में प्रवाहित यमुना नदी तल में कहीं पर भी जनपद कौशाम्बी की सीमा में बालू/मोरम का खनन नहीं हो रहा है अपितु जनपद प्रयागराज की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी तल में स्थित खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम मझियारी में संचालित है, जिसका परिवहन जनपद प्रयागराज के सेमरी ग्राम से होते हुये जनपद कौशाम्बी, तहसील चायल थाना पिपरी के क्षेत्रों से होता है।

9. ग्राम तिल्हापुर थाना सराय अकिल तहसील चायल कौशाम्बी :–

तहसील चायल अन्तर्गत ग्राम तिल्हापुर में प्रवाहित यमुना नदी तल का निरीक्षण दिनांक 10.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम तिल्हापुर में प्रवाहित यमुना नदी तल में कहीं पर भी जनपद कौशाम्बी की सीमा में बालू/मोरम का खनन नहीं हो रहा है अपितु जनपद प्रयागराज की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी तल में स्थित खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम भिलोर में संचालित है, जिसका परिवहन ग्राम तिल्हापुर थाना सराय अकिल तहसील चायल जनपद कौशाम्बी के क्षेत्र से होता है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

10.04.24
खान अधिकारी,
कौशाम्बी।

10/04/24
उपजिलाधिकारी, चायल
कौशाम्बी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज

10/04/2024
प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।